न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 167/2016

दुर्गा देवी पत्नी रामचन्द जाति कुम्हार निवासी 5 एस.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. सुशीला पुत्री रामचन्द पत्नी श्रवणकुमार जाति कुम्हार सा. 5 एस.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
3. उप पंजीयक सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ.1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ
दिनांक 22.06.2016

उपस्थितिः–

श्री संजय सैन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अशोक छाबडा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.11.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश किया जिसके राज. काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया के पिता रामचन्द के नाम से चक 5 एस.डी. के प.नं. 211/57 के कि.नं. 4 से 7, 14 से 17 की 2.024है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रामचन्द का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि में प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहती है। यदि वह ऐसा करने में सफल हो गई तो प्रार्थीया के वाद का औचित्य ह समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीया उक्त भूमि की 1/6 हिस्सा को खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा

प्रार्थीया के हिस्सा में आने वाली भूमि पर रिसीवर किया जावे। यदि रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता हो तो धारा 212(2) के तहत रूपये 10000/– प्रति बीघा नकद प्रतिभूति जमा कराने के आदेश दिये जावे। अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा. पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 22.06.2016 को प्रा.पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त विवादित भूमि के 1/6 हिस्सा का हस्तांतरण नहीं करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। पंजीबद्ध दस्तावेज, दस्तबरदारी से अपीलांट के पक्ष में रेस्पों. ने हक छोड दिया था। ऐसी स्थिति में रेस्पों. का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पों. को गुमराह करके दस्तावेज तैयार करवाया गया है। उक्त दस्तावेज के सम्बन्ध में हक व अधिकार दावे में तय होने है। यदि अपीलांट द्वारा 1/6 हिस्से का हस्तांतरण कर दिया तो रेस्पों. के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पों. अपीलांट की पुत्री है। रेस्पों. द्वारा अपने पिता की भूमि में से हक व अधिकार चाहा है। उसे हक व अधिकार मिलना है या नहीं? दस्तबरदारी से अपीलांट को क्या हक व अधिकार मिलने है। इसका निर्णय मूल वाद में साक्ष्य आदि आने के पश्चात अधी. न्यायालय द्वारा किया जाना है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व प्रथम दृष्टया जो प्रार्थीया द्वारा अपने

1/6 हिस्से की मांग की है उसका हस्तांतरण हो जाता है तो प्रार्थीया/वादीया के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। प्रकरण में विवादित भूमि निर्विवाद रूप से अपीलांट के पति व रेस्पों. सं. 1 के पिता की है। पक्षकारान के मध्य पारिवारिक भूमि को लेकर विवाद है। अधी. न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस पारिवारिक विवाद में आलोच्य स्थगन जारी किया है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के हितों की रक्षा करते हुए 1/6 हिस्सा के सम्बन्ध में जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने एवं कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर